महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

(नैक द्वारा 'ए' ग्रेड प्रमाणित)

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)

गांधी हिल्स, वर्धा-442001 (महाराष्ट्र)

Website : hindivishwa.org

विद्या-परिषद की

36वीं बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक : 07 जून, 2021 (सोमवार)

समय : पूर्वाह्न 11.00 बजे

स्थान : ग़ालिब सभागार
विश्वविद्यालय परिसर, वर्धा

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

विद्या–परिषद की 36वीं बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक : 07.06.2021 (सोमवार)

समय : पूर्वाह्न 11:00 बजे

स्थान : ग़ालिब सभागार, म.गां.अं.हिं.वि., वर्धा

मद सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
1.	विद्या–परिषद की 34वीं और 35वीं बैठक के कार्यवृत्त की संपुष्टि	3
2.	विद्या–परिषद की 34वीं बैठक के निर्णयों के अनुसरण में की गई अनुवर्ती कार्रवाई	
3.	राष्ट्रीय कैडेट कोर (NCC) को सत्र 2021–22 से वैकल्पिक विषय (Elective Subject के रूप में पाठ्यक्रम में समाहित करना	4
4.	दूर शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत नये पाठ्यक्रमों का प्रारंभ	
5.	पी–एच.डी. अध्यादेश 45 / 2020 में संशोधन	5
6.	**विभिन्न विद्यापीठों के स्कूल बोर्ड द्वारा की गई संस्तुतियों पर विचार**	
	1. संस्कृति विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड की 22वीं बैठक का कार्यवृत्त	6
	2. शिक्षा विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड की 11वीं बैठक का कार्यवृत्त	
	3. मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड की 15वीं बैठक का कार्यवृत्त	
	4. भाषा विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड की 19वीं बैठक का कार्यवृत्त	7
	5. अनुवाद एवं निर्वचन विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड की बैठक का कार्यवृत्त	
	6. साहित्य विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड की बैठक का कार्यवृत्त	
	7. प्रबंधन विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड की 05वीं बैठक का कार्यवृत्त	
7.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्च शिक्षा में क्रेडिट बैंक (एबीसी) योजना के अकादमिक बैंक की स्थापना और संचालन) विनियम, 2021 का अनुमोदन	8
8.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (Credit Framework for Online Learning Courses through Study Webs of Active Learning for Young Aspiring Minds) विनियम 2021का अंगीकार करना	
9.	अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय	

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

विद्या–परिषद की 36वीं बैठक का कार्यवृत्त

स्थान	**:**	**ग़ालिब सभागार** **विश्वविद्यालय परिसर, वर्धा**
दिनांक	**:**	**07 जून, 2021 (सोमवार)**
समय	**:**	**पूर्वान्ह 11:00 बजे**

विद्या–परिषद की 36वीं बैठक कुलपति की अध्यक्षता में दिनांक 07.06.2021 (सोमवार) को पूर्वान्ह 11.00 बजे साहित्य विद्यापीठ के ग़ालिब सभागार में आयोजित हुई।

बैठक में निम्नानुसार उपस्थिति थीः

1.	प्रो. रजनीश कुमार शुक्ल	कुलपति एवं अध्यक्ष
2.	प्रो. हनुमानप्रसाद शुक्ल	अधिष्ठाता : भाषा विद्यापीठ अधिष्ठाता : अनुवाद एवं निर्वचन विद्यापीठ निदेशक : विदेशी भाषा एवं अंतराष्ट्रीय अध्ययन केंद्र विभागाध्यक्ष, अनुवाद अध्ययन विभाग विभागाध्यक्ष, प्रवासन एवं डायस्पोरा विभाग
3.	प्रो. चंद्रकांत एस. रागीट	प्रतिकुलपति निदेशक, सूचना एवं भाषा अभियांत्रिकी केंद्र
4.	प्रो. मनोज कुमार	अधिष्ठाता, शिक्षा विद्यापीठ **(ऑनलाइन)** अधिष्ठाता, प्रबंधन विद्यापीठ अधिष्ठाता, विधि विद्यापीठ कुलानुशासक निदेशक, म.गां.फ्यु.गुरूजी सामाजिक कार्य अ. केंद्र
5.	प्रो. नृपेंद्र प्रसाद मोदी	अधिष्ठाता, संस्कृति विद्यापीठ पुस्तकालयाध्यक्ष निदेशक, भदंत आनंद कौसल्यायन बौद्ध अध्ययन केंद्र
6.	प्रो. कृपाशंकर चौबे	अधिष्ठाता, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ विभागाध्यक्ष, जनसंचार विभाग विभागाध्यक्ष, मानव विज्ञान विभाग विभागाध्यक्ष, इतिहास, राजनीति विज्ञान एवं समाजशास्त्र विभाग
7.	प्रो. अवधेश कुमार	अधिष्ठाता, साहित्य विद्यापीठ अधिष्ठाता, छात्र कल्याण

		विभागाध्यक्ष, मराठी, संस्कृत और प्रदर्शनकारी कला विभाग
8.	प्रो. वृषभ प्रसाद जैन	प्रोफेसर, भाषा विज्ञान एवं भाषा प्रौद्योगिकी विभाग **(ऑनलाइन)**
9.	प्रो. अनिल कुमार राय	प्रोफेसर, जनसंचार विभाग **(ऑनलाइन)**
10.	प्रो. कृष्ण कुमार सिंह	प्रोफेसर, हिंदी एवं तुलनात्मक साहित्य विभाग
11.	प्रो. फरहद मलिक	प्रोफेसर, मानव विज्ञान विभाग
12.	प्रो. अखिलेश कुमार दुबे	प्रोफेसर एवं अकादमिक निदेशक, क्षेत्रीय केंद्र, प्रयागराज **(ऑनलाइन)**
13.	प्रो. शिरीष पाल सिंह	प्रोफेसर, शिक्षा विभाग
14.	प्रो. हरीश अरोड़ा	प्रोफेसर
15.	प्रो. लेला कारूण्यकरा	निदेशक, डॉ. बाबासाहब अंबेडकर, सिदो कान्हू मुर्मु दलित एवं जनजाति अध्ययन केंद्र **(ऑनलाइन)**
16.	प्रो. प्रीति सागर	विभागाध्यक्ष, हिंदी एवं तुलनात्मक साहित्य विभाग **(ऑनलाइन)**
17.	प्रो. गोपाल कृष्ण ठाकुर	विभागाध्यक्ष, शिक्षा एवं मनोविज्ञान विभाग
18	प्रो. चतुर्भुज नाथ तिवारी	विभागाध्यक्ष, विधि विभाग **(ऑनलाइन)**
19.	डॉ. मनोज कुमार राय	विभागाध्यक्ष, गांधी एवं शांति अध्ययन विभाग **(ऑनलाइन)**
20.	डॉ. रविंद्र तु. बोरकर	विभागाध्यक्ष, वाणिज्य एवं प्रबंधन विभाग
21.	डॉ. सुप्रिया पाठक	विभागाध्यक्ष, स्त्री अध्ययन विभाग
22.	डॉ. जयंत उपाध्याय	विभागाध्यक्ष, दर्शन एवं संस्कृति विभाग
23.	प्रो. गोविंद प्रसाद शर्मा	बाह्य–विशेषज्ञ **(ऑनलाइन)**
24.	प्रो. कुमुद शर्मा	बाह्य–विशेषज्ञ **(ऑनलाइन)**
25.	प्रो. राज नारायण शुक्ल	बाह्य–विशेषज्ञ **(ऑनलाइन)**
26.	प्रो. एम. वेंकटेश्वर	बाह्य–विशेषज्ञ **(ऑनलाइन)**
27	डॉ. ओमप्रकाश भारती	एसोशिएट प्रोफेसर, प्रदर्शनकारी कला विभाग **(ऑनलाइन)**
28.	डॉ. रामानुज अस्थाना	एसोशिएट प्रोफेसर, हिंदी एवं तुलनात्मक साहित्य विभाग **(ऑनलाइन)**
29.	डॉ. अशोक नाथ त्रिपाठी	एसोशिएट प्रोफेसर, हिंदी एवं तुलनात्मक साहित्य विभाग
30.	डॉ. एच.ए.हुनगुंद	एसोशिएट प्रोफेसर, भाषा विज्ञान एवं भाषा प्रौद्योगिकी विभाग
31.	डॉ. अनिर्वाण घोष	सहायक प्रोफेसर, विदेशी भाषा एवं अंतरराष्ट्रीय अ.कें.
32.	श्री शरद जायसवाल	सहायक प्रोफेसर, स्त्री अध्ययन विभाग
33.	डॉ. बीर पाल सिंह यादव	सहायक प्रोफेसर, हिंदी एवं तुलनात्मक साहित्य विभाग
34.	डॉ. अख्तर आलम	सहायक प्रोफेसर, जनसंचार विभाग
35.	डॉ. अरिमर्दन कुमार त्रिपाठी	भूतपूर्व विद्यार्थी प्रतिनिधि **(ऑनलाइन)**

36. डॉ. उमा यादव — भूतपूर्व विद्यार्थी प्रतिनिधि **(ऑनलाइन)**

37. श्री वैभव उपाध्याय — छात्र प्रतिनिधि

38. सुश्री हेमा ठाकुर — छात्र प्रतिनिधि **(ऑनलाइन)**

39. श्री क़ादर नवाज़ ख़ान — कुलसचिव एवं पदेन सचिव

शेष सदस्य अपरिहार्य कारणवश बैठक में उपस्थित नहीं हो सके।

विद्या–परिषद के सहयोग के लिये अधोलिखित अधिकारी उपस्थित रहे :

1. श्री सुशील पखिडे — सहायक कुलसचिव
2. डॉ. राजेश्वर सिंह — सहायक कुलसचिव
3. श्री राजेश अरोड़ा — सहायक कुलसचिव
4. श्री के.के.त्रिपाठी — सहायक कुलसचिव

विश्वविद्यालय के कुलगीत के साथ बैठक प्रारंभ हुई। प्रारंभ में अध्यक्ष महोदय ने कोरोना से जन सामान्य को हुई क्षति से अवगत कराया। साथ ही विद्या–परिषद की सम्माननीय सदस्य प्रो. कुमुद शर्मा, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली के पति श्री अरुण वर्धन शर्मा का कोरोना से निधन होने की सूचना दी। विद्या–परिषद ने उनके प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की।

नव नियुक्त सदस्यों का स्वागत

विश्वविद्यालय के परिनियम 14 (1) (जे) के अंतर्गत प्रो. अवधेश प्रधान, हिंदी विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी को दिनांक 28.02.2019 को दो वर्ष की अवधि के लिए विद्यापरिषद का सदस्य नामित किया गया था।

इनका दो वर्ष का कार्यकाल पूरा होने की स्थिति में **प्रो. एम. वेंकटेश्वर (सेवानिवृत्त), इंग्लिश एन्ड फॉरेन लैंग्वेज विश्वविद्यालय, (EFLU) हैदराबाद** को विद्या–परिषद का सदस्य नामित किया गया है। विद्या–परिषद प्रो. एम. वेंकटेश्वर का स्वागत करती है, साथ ही प्रो. अवधेश प्रधान के प्रति उनके मार्गदर्शन और सहयोग के लिए धन्यवाद ज्ञापित करती है।

सदस्य की नियुक्ति से विद्या–परिषद अवगत हुई, प्रो. एम. वेकटेश्वर का विद्या–परिषद ने स्वागत किया गया और निवर्तमान सदस्य प्रो. अवधेश प्रधान के प्रति उनके मार्गदर्शन और सहयोग के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

मद संख्या–1

विद्या–परिषद की 34वीं और 35वीं बैठक के कार्यवृत्त की संपुष्टि

विद्या–परिषद की दिनांक 03.11.2020 को संपन्न 34वीं बैठक और दिनांक 06.01.2021 को संपन्न 35वीं (आकस्मिक) बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की।

मद संख्या–2

विद्या–परिषद की 34वीं बैठक के कार्यवृत्त के अनुसरण में की गई अनुवर्ती

मद संख्या 7 (3)

विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जाने वाली उपाधियों जैसे पीएच.डी., एम.ए., एम.एड., बी.एड., बी.ए. आदि के मानक हिंदी नामों का निर्धारण करने के लिए समिति का गठन

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नई शिक्षा नीति के अंतर्गत उपाधियों का निर्धारण प्रक्रियाधीन होने के कारण विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जाने वाली उपाधियों जैसे पीएच.डी., एम.ए., एम.एड, बी.एड., बी.ए. आदि के मानक हिंदी नामों का निर्धारण करने के लिए गठित समिति की बैठक आयोजित न कर पाने से विद्या–परिषद को अवगत कराया गया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नई शिक्षा नीति के अंतर्गत उपाधियों के नामों के निर्धारण के उपरांत समिति बैठक कर अपनी रिपोर्ट विद्या–परिषद को प्रस्तुत करेगी।

मद संख्या–3

राष्ट्रीय कैडेट कोर (NCC) को सत्र 2021–22 से वैकल्पिक विषय (Elective Subject के रूप में पाठ्यक्रम में समाहित करना

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा पत्र क्रमांक D.O.No. 1-18/2019(CPP-II) दिनांक 15.04.2021 के माध्यम से महानिदेशालय, राष्ट्रीय कैडेट कोर (NCC) से राष्ट्रीय कैडेट कोर (NCC) वैकल्पिक विषय के समाहित करने के संबंध में प्राप्त प्रस्ताव को अग्रेषित किया गया है, जिसे विश्वविद्यालय द्वारा विद्या–परिषद की कार्योत्तर स्वीकृति की प्रत्याशा में वैकल्पिक विषय के रूप में लागू किया गया है। प्रस्ताव विद्या–परिषद के समक्ष कार्योत्तर स्वीकृति हेतु कार्यसूची में पृष्ठ संख्या 03 से 26 पर प्रस्तुत किया गया था।

निर्णयः विद्या–परिषद ने चर्चा के उपरांत राष्ट्रीय कैडेट कोर (NCC) को सत्र 2021–22 से वैकल्पिक विषय (Elective Subject) के रूप में पाठ्यक्रम में समाहित करने के लिए कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की।

मद संख्या–4

दूर शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत नये पाठ्यक्रमों का प्रारंभ

विश्वविद्यालय के दूर शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत वर्तमान सत्र 2021–22 से एक वर्षीय पी.जी. डिप्लोमा, 6 माह और 3 माह के निम्नांकित पाठ्यक्रम विद्या–परिषद की कार्योत्तर स्वीकृति की प्रत्याशा में प्रारंभ किये गये हैं। इनमें से कुछ पाठ्यक्रम ऑनलाइन माध्यमों से चलाये जायेंगे।

एक वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा

1. सृजनात्मक लेखन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा
2. अनुवाद विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा
3. नाटक और रंगमंच में स्नातकोत्तर डिप्लोमा
4. मीडिया लेखन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा

6 माह का प्रमाणपत्र

1. नेतृत्व एवं प्रशासन में प्रमाणपत्र
2. चीनी भाषा में प्रमाणपत्र
3. फ्रेंच भाषा में प्रमाणपत्र
4. जर्मन भाषा में प्रमाणपत्र
5. जापानी भाषा में प्रमाणपत्र
6. स्पैनिश भाषा में प्रमाणपत्र

3 माह का प्रमाणपत्र

गैर–सरकारी संस्थाओं (N.G.O.) के निर्माण एवं प्रबंधन

उपर्युक्त पाठ्यक्रम प्रारंभ करने का प्रस्ताव विद्या–परिषद के समक्ष कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

निर्णयः विद्या–परिषद ने नई शिक्षा नीति के दिशा–निर्देशानुसार Nomenclature के अधीन उपर्युक्त पाठ्यक्रमों को प्रारंभ करने के लिए कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की। साथ ही भारतीय भाषाओं के प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों को प्रारंभ करने का प्रस्ताव अगली विद्या–परिषद में रखे जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।

मद संख्या–5

पी–एच.डी. अध्यादेश 45/2020 में संशोधन

विद्या–परिषद की दिनांक 27.04.2020 को संपन्न 32वीं बैठक में अनुमोदित विश्वविद्यालय के पी–एच.डी. अध्यादेश क्रमांक 45/2020 के बिंदु 9.1 a) के अंतर्गत दी गई शोध निदेशक की पात्रता में निम्नानुसार संशोधन करने का प्रस्ताव है :

Existing Provision	Proposed Provision
9.1 The Board of Studies of the Department/Centre shall have power to recognize a regular teacher of the university as Research Supervisor: a) Any regular Professor of the University with at least 05 (Five) research publications in refereed/UGC approved journals in concerned disciplines and any regular Associate/Assistant Professor of the university with Ph.D. degree and at least (2) two research publications in refereed/UGC approved journals in concerned discipline may be recognized as Research Supervisor.	Any Professor/Associate Professor or Assistant Professor with Ph.D. as per UGC regulation 2018 may be recognized as Research Supervisor

निर्णयः विद्या–परिषद ने पी–एच.डी. अध्यादेश क्रमांक 45/2020 के बिंदु 9.1 a) के अंतर्गत दी गई शोध निदेशक की पात्रता में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की।

साथ ही पी–एच.डी. प्रवेश के लिए एक रिक्त सीट के लिए अधिकतम पाँच अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाये जाने के प्रस्ताव को विद्या–परिषद ने स्वीकृति प्रदान की। सम्माननीय सदस्य प्रो. एल कारूण्यकरा ने इस प्रस्ताव पर यह कहकर कि यदि ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है तो उनका नोट ऑफ डिसेंट दर्ज किया जाये।

इस पर अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि उक्त प्रस्ताव विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पी–एच.डी. रेग्यूलेशन 2016 के अनुरूप है।

मद संख्या–**6**

विभिन्न विद्यापीठों के स्कूल बोर्ड द्वारा की गई संस्तुतियों पर विचार

1. संस्कृति विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड की 22वीं बैठक का कार्यवृत्त

विश्वविद्यालय के संस्कृति विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड की 22वीं बैठक दिनांक 27.05.2021 को संपन्न हुई। संस्कृति विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड की बैठक में की गई संस्तुतियाँ कार्यसूची में विचार हेतु पृष्ठ संख्या **29 से 55** पर प्रस्तुत की गई थी।

निर्णय : संस्कृति विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड की दिनांक 27.05.2020 को संपन्न 22वीं बैठक में लिये गये निर्णयों का विद्या–परिषद द्वारा संज्ञान लिया, बैठक में हुई चर्चा के उपरांत स्कूल बोर्ड के कार्यवृत्त की मद संख्या 6 को छोड़कर शेष मदों को विद्या–परिषद ने स्वीकृति प्रदान की।

2. शिक्षा विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड की 11वीं बैठक का कार्यवृत्त

विश्वविद्यालय के शिक्षा विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड की 11वीं बैठक दिनांक 01.06.2021 को संपन्न हुई। स्कूल बोर्ड की बैठक का कार्यवृत्त अतिरिक्त कार्यसूची में पृष्ठ संख्या 02 से 63 पर अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया गया था।

निर्णय : शिक्षा विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड की दिनांक 01.06.2021 को संपन्न 11वीं बैठक में लिये गये निर्णयों को विद्या–परिषद ने स्वीकृति प्रदान की।

3. मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड की बैठक का कार्यवृत्त

विश्वविद्यालय के मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड की 15 वीं बैठक दिनांक 04.06.2021 को संपन्न हुई। स्कूल बोर्ड की बैठक का कार्यवृत्त अतिरिक्त कार्यसूची में पृष्ठ संख्या **65 से 93** पर अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया गया था।

निर्णय : मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड की दिनांक 04.06.2021 को संपन्न 15वीं बैठक में लिये गये निर्णयों को विद्या–परिषद ने स्वीकृति प्रदान की।

4. भाषा विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड की 19वीं बैठक का कार्यवृत्त

विश्वविद्यालय के भाषा विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड की 19 वीं बैठक दिनांक 01.06.2021 को संपन्न हुई। स्कूल बोर्ड की बैठक का कार्यवृत्त अतिरिक्त कार्यसूची में पृष्ठ संख्या **95 से 112** पर अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया गया था।

निर्णय : भाषा विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड की दिनांक 01.06.2021 को संपन्न 19वीं बैठक में लिये गये निर्णयों को विद्या–परिषद ने स्वीकृति प्रदान की।

5. अनुवाद एवं निर्वचन विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड की बैठक का कार्यवृत्त

विश्वविद्यालय के अनुवाद एवं निर्वचन विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड की बैठक दिनांक 29.05.2021 को संपन्न हुई। स्कूल बोर्ड की बैठक का कार्यवृत्त अतिरिक्त कार्यसूची में संख्या **114 से 120** पर अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया गया था।

निर्णय : अनुवाद एवं निर्वचन विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड की दिनांक 29.05.2021 को संपन्न बैठक में लिये गये निर्णयों को विद्या–परिषद ने स्वीकृति प्रदान की।

6. साहित्य विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड की बैठक का कार्यवृत्त

विश्वविद्यालय के साहित्य विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड की बैठक दिनांक 02.06.2021 को संपन्न हुई। स्कूल बोर्ड की बैठक का कार्यवृत्त अतिरिक्त कार्यसूची में पृष्ठ संख्या **122 से 128** पर अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया गया था।

निर्णय : साहित्य विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड की दिनांक 02.06.2021 को संपन्न बैठक के कार्यवृत्त में से संस्कृत विभाग की षष्ठ अध्ययन मंडल की बैठक के कार्यवृत्त में मद संख्या 3 के अंतर्गत कालिदास व्याख्यानमाला के स्थान पर भवभूति मासिक संस्कृत व्याख्यानमाला आयोजित करने का निर्णय लिया, स्कूल बोर्ड के शेष निर्णयों को विद्या–परिषद ने स्वीकृति प्रदान की।

7. प्रबंधन विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड की 05 वीं बैठक का कार्यवृत्त

विश्वविद्यालय के प्रबंधन विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड की 05 वीं बैठक दिनांक 04.06.2021 को संपन्न हुई। स्कूल बोर्ड की बैठक का कार्यवृत्त अतिरिक्त कार्यसूची में पृष्ठ संख्या **130 से 137** पर अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया गया था।

निर्णय : प्रबंधन विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड की दिनांक 04.06.2021 को संपन्न बैठक के कार्यवृत्त के साथ संलग्न वाणिज्य एवं प्रबंधन विभाग के अध्ययन मंडल की सातवीं बैठक की मद संख्या 2 को अपोषित माना गया और मद संख्या 3 को अस्वीकृत किया। विद्या–परिषद ने स्कूल बोर्ड के शेष निर्णयों को स्वीकृति प्रदान की।

मद संख्या–7

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्च शिक्षा में क्रेडिट बैंक (एबीसी) योजना के अकादमिक बैंक की स्थापना और संचालन) विनियम, 2021 का अनुमोदन

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्गत सार्वजनिक सूचना (Public Notice) क्रमांक F.No. 14-31/2018(CPP-II) दिनांक 21.01.2021 के माध्यम से एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स (एबीसी) की एक अभिनव अवधारणा पर कार्यान्वयन रणनीति के साथ एक विस्तृत योजना विकसित करने के लिए एक समिति का गठन किया। एबीसी विनियमों का उद्देश्य पूरे सिस्टम में छात्रों की गतिशीलता को सुविधाजनक बनाना है।

समिति द्वारा तैयार किया गया विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्च शिक्षा में एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स (एबीसी) योजना की स्थापना और संचालन) विनियम, 2021 का मसौदा विद्या–परिषद की अतिरिक्त कार्यसूची में पृष्ठ संख्या **139 से 149** पर अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया गया था।

निर्णय : विद्या–परिषद ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्च शिक्षा में क्रेडिट बैंक (एबीसी) योजना के अकादमिक बैंक की स्थापना और संचालन) विनियम, 2021 को सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की।

मद संख्या–8

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (Credit Framework for Online Learning Courses through Study Webs of Active Learning for Young Aspiring Minds) विनियम 2021का अंगीकार करना

कोविड–19 की वर्तमान दूसरी लहर के परिदृश्य में विश्वविद्यालयों के लाभ के लिए स्वयं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का अधिकतम उपयोग करने का अनुरोध विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा किया गया है। छात्रों/शिक्षार्थियों के लिए 83 स्नातक और 40 स्नातकोत्तर MOOCs पाठ्यक्रमों की सूची जुलाई–अक्टूबर सेमेस्टर 2021 से लागू करने के लिए स्वयंम प्लेटफॉर्म पर तैयार है। इस सूची का अवलोकन https://swavam.qov.in/CEC पर किया जा सकता है।

सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी अर्द्ध–शासकीय पत्र क्रमांक 1-8/2017 (Swayam) दिनांक 28.05.2021 के माध्यम से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (Credit Framework for Online Learning Courses through Study Webs of Active Learning for Young Aspiring Minds) विनियम 2021 को विश्वविद्यालय में अपनाते हुए कुल पाठ्यक्रमों में से 40 प्रतिशत पाठ्यक्रमों को स्वयंम (Swayam) प्लैटफॉर्म से ऑनलाइन चलाने का अनुरोध किया है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (Credit Framework for Online Learning Courses through Study Webs of Active Learning for Young Aspiring Minds) विनियम 2021 विद्या–परिषद की अतिरिक्त कार्यसूची में पृष्ठ संख्या **151 से 160** पर अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया गया था।

निर्णय : विद्या–परिषद ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (Credit Framework for Online Learning Courses through Study Webs of Active Learning for Young Aspiring Minds) विनियम 2021को सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की। सभी स्कूल बोर्ड को संस्तुत किया गया कि स्वयंम पोर्टल पर उपलब्ध पाठ्यक्रमों में से विद्यापीठों से संबंधित पाठ्यक्रमों का चयन करें।

मद संख्या–8

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय

1. विश्वविद्यालय के विधि विभाग में पंचवर्षीय पाठ्यक्रम को सार्थक एवं उपयोगी स्वरूप प्रदान करने तथा विधि पाठ्यक्रम को प्रभावी बनाने के लिए समुचित सुझाव प्राप्त करने हेतु भारत के विभिन्न ख्यातिलब्ध विधिवेत्ताओं एवं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सम्माननीय सदस्यों की समिति गठित किये जाने की सूचना से विद्या–परिषद को अवगत कराया गया।

2. **अध्यक्ष महोदय ने दूर शिक्षा निदेशालय और अन्य विभागों के बीच उचित समन्वय और संबंधित शिक्षकों की अकादमिक वृद्धि के लिए निम्नानुसार व्यवस्था दी :**

   दूर शिक्षा निदेशालय में पदस्थ सभी शिक्षक अपने विषय से संबंधित विभाग के संकाय सदस्य होंगे। वह शिक्षक दूर शिक्षा में तैनात होंगे। विश्वविद्यालय अपनी आवश्यकतानुसार दूर शिक्षा निदेशालय से विभाग या विभाग से दूर शिक्षा निदेशालय में अपनी अकादमिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए उन्हें स्थानांतरित कर सकेगा। यह व्यवस्था क्षेत्रीय केंद्रों के साथ-साथ विभागों पर भी लागू होगी।

   साथ ही संबंधित विषय के लिए विभाग में जो अध्ययन बोर्ड है वहीं दूर शिक्षा निदेशालय के विषय के लिए अध्ययन बोर्ड होगा। संबंधित शिक्षक विभाग में उस विषय के अध्ययन मंडल का स्थायी विशेष आमंत्रित सदस्य होगा।

3. **विद्या–परिषद में विद्यार्थी प्रतिनिधियों से प्राप्त सुझाव**

   विश्वविद्यालय में क्रीड़ा गतिविधियों को बढ़ावा देना

   विश्वविद्यालय में क्रीड़ा गतिविधियों को बढ़ावा देने और खेल का पाठ्यचर्या का विषय बनाने के उद्देश्य से आगे बढ़ने के लिए समिति गठित करने हेतु कुलपति महोदय को विद्या–परिषद ने अधिकृत किया।

4. ऑनलाइन अध्यापन कार्यक्रम की समीक्षा

विश्वविद्यालय में कोविड–19 महामारी के कारण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चलाये जा रहे ऑनलाइन कक्षाओं की समीक्षा के लिए प्रो. चंद्रकांत रागीट, प्रतिकुलपति एवं निदेशक, सूचना एवं भाषा अभियांत्रिकी केंद्र की अध्यक्षता में सभी अधिष्ठाताओं की एक समिति गठित करने का निर्णय लिया गया। विद्या विशेष की दृष्टि से आवश्यकता के अनुसार यह समिति किसी भी अध्यापक को आमंत्रित कर सकेगी। समिति उपकरणों की आवश्यकता और संभावनाओं की तलाश करेगी।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

क़ादर नवाज़ 08/06/21

(क़ादर नवाज़ ख़ान)

कुलसचिव एवं पदेन सचिव : विद्या–परिषद

म.गां.अं.हिं.वि., वर्धा